संख्या-18/2015/बी-2-2698 /दस-2015-2/15
पंचायती राज अनु0-3 की पत्रा.सं.-100(15)/2015

प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 10 सितम्बर, 2015

विषयः-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जिला पंचायतों को समनुदेशन की बकाये की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/शा0/487/2015-5/85/2015, दिनांक 08 सितम्बर, 2015 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत जिला पंचायत मथुरा, सिद्वार्थनगर एवं महाराजगंज को समनुदेशन की बकाये की कुल धनराशि रूपये 469.22 लाख (रूपये चार करोड़ उनहत्तर लाख बाईस हजार मात्र) निम्नानुसार दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

जिला पंचायत	वित्तीय वर्ष	धनराशि
मथुरा	2012-13	175.03 लाख
सिद्वार्थनगर	2006-07	249.43 लाख
महाराजगंज	2002-03	44.76 लाख
योग		469.22 लाख

2- उपर्युक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जिला पंचायत मथुरा, सिद्वार्थनगर एवं महाराजगंज को स्वीकृत की जा रही धनराशि, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ से आहरित कर ई-पेमेंट के द्वारा सीधे जिला पंचायत मथुरा, सिद्वार्थनगर एवं महाराजगंज के खाते में जमा की जायेगी। निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ई-पेमेंट हेतु जिला पंचायतों का बैंक खाता एवं आई.एफ.एस.डी. कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है वह सही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अंतर्गत लेखाशीर्षक ''3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेतर-196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0305-जिला पंचायतों को समनुदेशन की बकाया धनराशि का भुगतान-28-समनुदेशन'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

संख्या-18/2015/बी-2-2698 (1)/दस-2015-2/15, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
4- पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
5- जिलाधिकारी, मथुरा/सिद्वार्थनगर/महाराजगंज।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मथुरा/सिद्वार्थनगर/महाराजगंज।
8- उपनिदेशक, जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
10- निदेशक, पंचायती राज (लेखा), इन्दिरा भवन, 10 वां तल, लखनऊ।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।